भागीरथ वगैराह बनाम नाथूराम वगैराह
दावा क्रमांक 121/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/294

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 121/2022

वादी

1. भागीरथ पुत्र श्रीकिशन
2. सुगनाराम पुत्र श्रीकिशन समस्त जाति जाट निवासीगण डिडिया खुर्द तहसील जायल, नागौर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नाथूराम पुत्र श्रीकिशन, जाति जाट फौत के कायम मुकान
   1/1– धापी देवी पत्नि नाथूराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल
   1/2– दिनेश पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल
   1/3– अंजू पुत्री नाथूराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल
   1/4– मंजू पुत्री नाथूराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल
   1/5– संजू पुत्री नाथूराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल
2. जिमनाई पत्नि श्रीकिशन जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल
3. कमला पुत्री श्रीकिशन जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल
4. तीजा देवी पुत्री श्रीकिशन जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादीगण की ओर से श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री इस्लामुद्दीन काजी एडवोकेट

–:: डिक्री आदेश ::–

दि. 16/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हाजरी श्री इस्लामुद्दीन काजी उपस्थित मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

भागीरथ वगैराह बनाम नाथूराम वगैराह
दावा क्रमांक 121/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/294

ादी संख्या 1 भागीरथ के हक बंट में मौजा डिडिया खुर्द के खेत खसरा नम्बर 223 रकबा 3.7879 हैक्टेयर में से 1.2949 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार तथा मौजा छावटा खुर्द के खसरा संख्या 14 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर आधा दक्षिणी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

ादी संख्या 2 सुगनाराम के हक बंट में मौजा डिडिया खुर्द के खेत खसरा नम्बर 223 रकबा 3.7879 हैक्टेयर में से 1.2949 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमि भाग नजरी नक्शानुसार तथा मौजा छावटा खुर्द के खसरा संख्या 14 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर आधा उत्तरी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति है।

प्रतिवादी गण संख्या 1/1 व 1/2 क्रमशः धापी देवी व दिनेश के बंट में मौजा डिडिया खुर्द के खसरा नम्बर 223 रकबा 3.7879 हैक्टेयर में से 1.1981 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है तथा खसरा नम्बर 482/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर पुरा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1/3 से 1/5 तथा 2 से 4 के द्वारा आराजी भूमि मे बंट नहीं रखने से मामला पुश्तैनी भूमि से हक त्याग की श्रेणी का आने से नियमानुसार स्टाम्प शल्क राजकोष मे जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करे

दि: 16/12/2022

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
म्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
म्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
नताना वकील			खर्चा गवाहन		
र्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
स कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
त इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
फर्रिक					

ट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं रना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल